

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.12(5)नविवि / 2021

जयपुर, दिनांक: 16 MARCH 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम -1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन 1959 की धारा 32 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा खसरा संख्या 173, 174, 176, 165, 166, 169, 140, 140/198 कुल रकबा 589.08 बीघा ग्राम अमरसागर में स्थित भूमि पर बहुउद्देशीय आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी है।

जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर - राजस्व ग्राम अमरसागर खसरा संख्या -139, 175, 140, 167, 170, 172

दक्षिण - राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या - 541, 542 (जैसलमेर सरहद)

पूर्व - राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या - 39, 40, 52, 53 (जैसलमेर सरहद)

पश्चिम - राजस्व ग्राम अमरसागर खसरा संख्या -141, 163, 164

उपरोक्त योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 589.08 बीघा है। योजना क्षेत्र का विवरण और मानचित्र नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसको किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

— १५ —

(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
4. अध्यक्ष नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
6. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राज पत्र के असाधारण अंक दिनांक 16.03.2020 प्रकाशित कराये जाने बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

३२

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय